

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय निकास एवं पर्यावरण विभाग
मचाला, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक । ८ गार्व, 2016

क्रमांक M/प्रप्र/16/12-१: भारत सरकार द्वारा लागू की गई रग्ड़े नियंत्रित परियोजना के संबंध में राज्य शासन एवं द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:

- १ राज्य के सात शहरी (भोपाल, इंदौर, बलियार, जबलपुर उड़डैन, सामर एवं सतना) के लिये स्पेशल परियोजना योग्यता (एसपीवी), के गठन एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश/मनुसार राज्य द्वारा नियंत्रित करार जापन् (Memorandum of Agreement-MOA) तथा योजना के मानेटरी सिद्धांत अनुमति योजना के क्रियावचयन किया जावे।
- २ भारत सरकार के दिशानिर्देश मनुसार राज्य द्वारा नियंत्रित एसपीवी को प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना का गठन किया जावे (स्लॉन परिशेष्ट-म)
- ३ स्नाईट स्टीटी योजना का स्वाक्षर मध्यप्रदेश अवैन इन्डस्ट्रीज कम्पनी (MPUICL) के साथ से किया जावे।
- ४ स्नाईट स्टीटी परियोजना के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार और दायित्व एसपीवी को प्रत्यायोजित कर भर्केवे।
- ५ जिन ग्रामणी में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो उन्हें स्नाईट स्टीटी के लिये राज्य स्तरीय उच्चाधिकार ग्रान स्वाक्षर भविति (एसपीएससी) वो अधिकृत करना लाई एचपीएससी द्वारा उत्तम प्रभावों को प्रत्यायोजन किया जावे।
- ६ वर्धीपूर्ण राजस्व प्रबाह की व्यवस्था के लिये एसपीवी अंतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वयं सक्षम होगी।
- ७ एसपीवी की परामर्शी समिति के संसाधन के पद एवं स्वाधित भगवीय निकाय के स्वाक्षर महापौर को मनोनीत किया जावे।
- ८ प्रति शहर की एसपीवी के लिये ल्यूनानम यूनी मानार सुविधिपूर्ण कारने हेतु वर्षावार बजट पावधान निम्नानुसार होगे:-

वर्ष	केन्द्र सरकार का बोगदान	राज्य सरकार का बोगदान	कुल प्राप्यधान
2015-16	196 करोड़	200 करोड़	396 करोड़
2016-17	98 करोड़	100 करोड़	198 करोड़
2017-18	98 करोड़	110 करोड़	198 करोड़
2018-19	98 करोड़	100 करोड़	198 करोड़
योग	490 करोड़	500 करोड़	990 करोड़

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के तीन शहर भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर का व्यवस्था स्वारे स्नाईट स्टीटी हेतु किया गया है। अत वर्ष 2015-16 के बजट मनुसार में तीन शहरी के लिये

२१
१०३१५

कुल राशि रु. 1188 करोड़ प्रति शहर के मान से) अग्रिम राशि रु. 06 करोड़ (रु. 2 करोड़ प्रति शहर के मान से) घटा कर कुल राशि रु. 1182 करोड़ का प्रावधान तीन शहरों के लिये किया जावे तथा आगामी वर्षों में प्रति शहर के मान से राशि रु. 198 करोड़ का प्रावधान किया जावे। पठेश ऊ उच्च चार शहरों (जवालियर, उज्जैन, सामर एवं सतना) के भी चरम भगवे गरण में हो जाने के उपरात उपरोक्तानुसार चारों शहरों के लिये उच्च प्रावधान प्रोत्तर्वय बन्द भन्नुमालों में किया जावे।

- 9 योजना लागत को पूर्ण करने के लिये एसपीसी को अतिरिक्त लिखियों की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा निकायों को आवश्यकता होने पर शासकीय परिवर्ती दी जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यमाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

३४१

(उम्मप्रकाश श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक १० मार्च २०१६

पृष्ठा. का.एफ. - ७/२०१६/१८-२

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मान मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन सचालय, भोपाल
- 2 प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सचालय, भोपाल
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, फैल विभागराजसन विभाग संगाल
- 4 सभाग आयुक्त, भोपाल, इंदौर, जवालियर, जबलपुर, उज्जैन, सामर एवं रीवा
- 5 कलेक्टर, जिला भोपाल, इंदौर, जवालियर, जबलपुर, उज्जैन, सामर एवं सतना
- 6 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल
- 7 आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.
- 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं जवालियर
- 9 आयुक्त, नगर पालिक निगम झालाल, इंदौर, जवालियर जबलपुर उज्जैन ग्राम लव संस्था


३४१/१०/१५

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

एसपीवी की संरचना



नोट-एसपीवी के पदों की पूर्ण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास नह सेवा निवास डायरेक्टर, स्पाई सिटी के गार्डिशन एवं पर्यावरण में होगी।